तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 2013/00017	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/6/16	पक्षकारान उप./अनु./वकील प्रार्थी/अप्रार्थी उप./अनु./ पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। पक्षकारान को समझाईश की गई, परन्तु राजीनामा नहीं हुआ। अतः पत्रावली संबंधित न्यायालय में वापस लौटाई जाकर दिनांक 24/8/16 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)	
24/8/16	वकु० पक्षी० उपस्थित। पत्रावली प्रा०पत्र के न्यायालय में हेतु दिनांक 13/10/16 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)	
13/10/16	वकील प्रार्थी हाजिर। उन्हें प्रा० पत्र 0 22 R 3 सपठित धारा 151 पर सुना गया। वकील प्रार्थी के कथन प्रार्थना पत्रानुसार ही रहे। प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार कीया जाता है। तथा मृतक प्रार्थिया स्व. श्रीमति पतासी पत्नि समदा विधिक वारिसान है को प्रार्थीगण सं. 1/1 से 1/5 के रूप मे प्रतिस्थापित किये जाते है आदेश पारित किये जाते है। पत्रावली दिनांक 9-11-16 को वास्ते संशोधित उनवान पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)	
9/11/16	वकील वादीगण के प्रा-पत्र T I पर तर्क सुने गये। उनके कथन रहे कि यदि अप्रार्थी को विवादित आराजी बाबत जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा निषेध नही किया गया तो वह प्रार्थीगण की आराजी मे अतिक्रमण कर लेगा अतः तारफैसला वाद के प्रतिवादी के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा दिलवाई जावे। मैने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थिया विवादित आराजी मे सह खातेदार है और जिस प्रकार से प्रा० पत्र लाई है उसे ध्यान मे रखते हुए अप्रार्थी प्रतिवादी 1 जिसके विरुद्ध एक तरफा हो चुकी है उसे यथास्थिति बनाए रखने के लिए पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः ग्राम केसरपुरा बवाकर खसरा स्थित आराजी नं. 187 की तारफैसला वाद के राजस्व अभिलेख एव मौके अनुसार यथास्थिति कायम रखी जावे। अप्रार्थी 1 तारफैसला वाद के वादिया/प्रार्थिया के हिस्से की आराजी को खुर्द बुर्द आदि नही करे। मिसल फैसला शुमार हो। तथा वाद के साथ नत्थी हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.04 17:47:24 IST
Reason: SelfAttested